



# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Bhiwani[396], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/31-2017 w (2)

दिनांक पंचकुला 08-06-2017

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष  
**2017-18 (Non-Recurring)**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/31-2017 W(2) दिनांक 17.05.2017 के प्रसंग में, के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम                 | कार्य का नाम            | प्रस्तावित राशि |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. GSSS Bhiwani (Bhiwani) [396] | Repair of Rooms and lab | 2000000.00      |
|                                 | कुल राशि                | 2000000.00      |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोकनिर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति पदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202 -General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works 2017-18 (Non Recurring) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/31-2017 w (2)

दिनांक, पंचकुला:- ०४-०६-२०१७

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/लोहारू/सिवानी/बाढ़ड़ा/बवानी खेड़ा/तोशाम//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय (यह राशि बी0सी0ओ0 के खाते मे स्थानान्तरण करने का कष्ट करें)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


S.T. cell

अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Panihari[1310], Hisar

यादी क्रमांक 2/31-2017 w (2)

दिनांक पंचकुला 08-06-2017

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2017-18 (Non-Recurring)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/31-2017 W(2) दिनांक 17.05.2017 के प्रसंग में, के अर्न्तगत 1800.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम                | कार्य का नाम      | प्रस्तावित राशि |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 GSSS Panihari (Hisar) [1310] | Raising of B/wall | 1162000.00      |
|                                | कुल राशि          | 1162000.00      |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोकनिर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई है।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष 2202- General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works 2017-18 (Non Recurring) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

६५६

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विधालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।


दिनांक, पंचकुला:- ०४-०६-२०१७

पृष्ठाकन क्रमांक 2/31-2017 w (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय (यह राशि बी०सी०ओ० के खाते मे स्थानान्तरण करने का कष्ट करें)।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

✓ 9.7 cell



अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विधालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।